राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ङ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(1)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies that the Collector shall be deemed to be the appropriate Government for the purpose of this Act, in respect of a public purpose in a district for an area not exceeding ten thousand hectares.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(2)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (झ) के उपखण्ड (vi) (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर की लागत का पांच प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(2)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(2)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(2)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) (A) of clause (i) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, specifies that five percent of the cost of compensation shall be charged as administrative cost for acquisition of the land.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(3)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (थ) के उपखण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि शब्द "भूमिहीन" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में उसके लिए समनुदेशित है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(3)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(3)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(3)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (q) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, specifies that the "landless" shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of Section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(10)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त संभागायुक्तों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(10)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(10)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(10)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, appoints all Divisional Commissioners as the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement within their respective jurisdictions.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(9)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की प्रथम अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के कालम 3 सहपठित धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में, वह कारक जिसके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाएगा, 1.00 (एक) होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(9)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(9)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(9)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by column no. 3 of serial no. 2 of the First Schedule read with sub-section (2) of Section 30 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies that in case of rural areas, the factor by which the market value is to be multiplied shall be 1.00 (one).

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कलक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा, उन जिलों में, जहां किसी परियोजना की बाबत्, भू-अर्जन के कारण व्यक्तियों के गैर-स्वैच्छिक विस्थापन की संभावना है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(8)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, appoints the Officer-in-Charge of Land Acquisition Section of the office of the Collector, not below the rank of Deputy Collector as Administrator for Rehabilitation and Resettlement, if there is likely to be involuntary displacement of persons due to acquisition of land in respect of any project within the district.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रत्येक जिले में कलक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15-(7)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

(No. 30 of 2013), the State Government, hereby, authorizes in each district, the Officer-in-Charge of Land Acquisition Section of the office of the Collector, not below the rank of Deputy Collector and his servants, workmen or any other person working under his direction, to carry into effect the provisions of Section 12 of the Act, within that district.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(6)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में अर्जित की गई सिंचित बहुफसली भूमि का क्षेत्र कुल मिलाकर, किसी भी दशा में, किसी कृषिक वर्ष में, उस जिले में विगत दस कृषिक वर्षों के दौरान उच्चतम शुद्ध बोए गए क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(6)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(6)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15-(6)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies that the area of agricultural land, in aggregate acquired for all projects in a district, shall in no case, exceed fifty per cent of the highest net sown area in a agricultural year during last ten years in that District.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(5)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में समस्त परियोजनाओं के लिये अर्जित की गई सिंचित बहुफसली भूमि का क्षेत्र कुल मिलाकर, किसी भी दशा में, किसी कृषिक वर्ष में, उस जिले में विगत दस कृषिक वर्षों के दौरान ऐसे क्षेत्र के उच्चतम से अधिक नहीं होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(5)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(5)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15-(5)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies that the area of irrigated multi-cropped land, and aggregate acquired for all projects in a district, shall in no case, exceed the highest of such area in a agricultural year during last ten years in that District.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(4)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए कलेक्टरों को उनके अपने-अपने जिले के भीतर प्रत्येक परियोजना के संबंध में एक सात सदस्यीय पृथक् विशेषज्ञ समूह गठित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

(1) प्रत्येक विशेषज्ञ समूह में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अशासकीय सामाजिक विज्ञानी ;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में की ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगरपालिक निगम से कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक महिला होगी ;

(ग) कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ ; तथा

(घ) अपेक्षक निकाय के परामर्श से कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट, परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ.

(2) कलक्टर, विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में से किसी व्यक्ति को समूह के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(4)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(4)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15-(4)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, authorises, the Collectors for constituting an Expert Group separately in respect of each project, having seven members, within their respective Districts for evaluating the Social Impact Assessment report;

(1) Each Expert Group shall consist of the following members :—

(a) two non official social scientists nominated by the Collector ;

(b) two representatives, one shall be a woman amongst them, of Gram Panchayat, Municipality or Municipal Corporation nominated by the Collector from the affected area ;

(c) two experts on rehabilitation nominated by the Collector ; and

(d) a technical expert in the subject relating to the project nominated by the Collector in consultation with the requiring body.

(2) The Collector shall nominate a person from amongs the members of the expert group as a chairperson of the group.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-8-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भिण्ड जिले की तहसील **गोहद** की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त देहगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 61 से 92 (32 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त देहगांव के पटवारी हल्के क्रमांक 61 से 92 (32 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील मौ का सृजन करती है, जिसमें कुल 32 पटवारी हल्के तथा 84 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय मौ में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-8-2013-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-8-2013-सात-शा. 6., दिनांक 30 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 30th September 2014

No. F 1-8-2013-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tehsil **Gohad** of District **Bhind** from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas No. 61 to 92 (32 Patwari Halkas) of Revenue Circle **Dehgaon** and create a new tehsil **Mau** by comprising of Patwari Halkas No. 61 to 92 (32 Patwari Halkas) of Revenue Circle **Dehgaon** in which the total Patwari Halkas shall be 32 village shall be 84. The headquarter of the said Tehsil shall be at **Mau**.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-6-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **ग्वालियर** जिले की तहसील **ग्वालियर** की सीमाएं, उसमें से, राजस्व वृत्त **रेहट** के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 07 (7 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 8 से 14 (7 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त घाटीगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 22 (8 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त बरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 31 (9 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त रेहट के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 7 (7 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 8 से 14 (7 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त घाटीगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 22 (8 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त बरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 31 (9 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए एक नई तहसील **घाटीगांव** का सृजन करती है, जिसमें कुल 31 पटवारी हल्के तथा 95 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय **घाटीगांव** में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-6-2013-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-6-2013-सात-शा. 6, दिनांक 30 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 30th September 2014

No. F 1-6-2013-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tehsil **Gwalior** of District **Gwalior** from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas No. 01 to 07 (07 Patwari halkas) of Revenue Circle Rehat, Patwari Halkas No. 8 to 14 (7 Patwari Halkas) of Revenue Circle Mohana, Patwari Halkas No. 15 to 22 (8 Patwari Halkas) of Revenue Circle Ghatigaon and Patwari Halkas No. 23 to 31 (9 Patwari Halkas) of Revenue Circle Barai and create a new tehsil Ghatigaon by comprising of Patwari Halkas No. 1 to 7 (7 Patwari Halkas) of Revenue Circle Rehat, Patwari Halkas No. 8 to 14 (7 Patwari Halkas) of Revenue Circle Mohana, Patwari Halkas No. 15 to 22 (8 Patwari Halkas) of Revenue Circle Ghatigaon and Patwari Halkas No. 22 to 31 (9 Patwari Halkas) of Revenue Circle Barai in which the total Patwari Halkas shall be 31 and village shall be 95. The headquarter of the said Tehsil shall be at Ghatigaon.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.